विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

वाइज़-किरण प्रभाग

https://dst.gov.in/

वाइज़ - पीएचडी के लिए अध्येतावृत्ति (वाइज़-पीएचडी)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) बुनियादी और अनुप्रयुक्त विज्ञान में पीएचडी करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से अपनी व्यापक योजना "विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलायें-किरण (वाइज़-किरण) के तहत एक नया कार्यक्रम 'वाइज़ - पीएचडी के लिए अध्येतावृत्ति (वाइज़ – पीएचडी)' शुरू कर रहा है। 'वाइज़-पीएचडी' अध्येतावृति के साथ पीएचडी करने की इच्छा रखने वाली बेरोजगार महिलाओं से इस कार्यक्रम के तहत परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

विषय क्षेत्र: निम्नलिखित 5 विषय क्षेत्रों में अध्येतावृति उपलब्ध है, i) भौतिक और गणितीय विज्ञान; ii) रासायनिक विज्ञान; iii) जीवन विज्ञान; iv) पृथ्वी और वायुमंडलीय विज्ञान, और; v) इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी।

पात्रता: जो महिलाएं पीएचडी के लिए अपना पंजीकरण कराना चाहती हैं या पहले से ही पीएचडी में पंजीकृत हैं परंतु किसी स्त्रोत से कोई अध्येतावृति नहीं ले रही हैं, वह वित्तीय सहायता के लिए वाइज़-पीएचडी कार्यक्रम में आवेदन करने की पात्र हैं। अनुशंसा पत्र प्राप्त होने के 6 महीने के भीतर पीएचडी के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है। निम्नलिखित प्राथमिक पात्रता मापदंड हैं:

(क) **योग्यता:** आवेदक के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से बुनियादी और अनुप्रयुक्त विज्ञान में M.Sc./ M.Tech या समकक्ष डिग्री जैसे B.Tech., M.Phil., M.Pharm. आदि होनी चाहिए।

(ख) **आयु:** आयु 27-45 साल होनी चाहिए। हालांकि, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट है।

(ग) **रोजगार:** वह महिलायें वाइज़-पीएचडी के लिए पात्र नहीं हैं जो नियमित रोजगार में हैं।

परियोजनावधि: परियोजना अधिकतम पांच (5) वर्ष या पीएचडी शोध प्रबंध जमा करने, इनमें से जो पहले हो, तक के लिए देय है।

परिलब्धियां: वाइज़-पीएचडी कार्यक्रम के तहत अध्येतावृति राशि 31,000/- रुपये प्रति माह, मानदंडों के अनुसार मकान किराया भत्ता, प्रति वर्ष 1.00 लाख रुपये का अनुसंधान अनुदान, और डीएसटी मानदंडों के अनुसार संस्थागत ओवरहेड शुल्क।

चयन प्रक्रिया: वाइज़-पीएचडी के तहत प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की प्रारंभिक जांच के पश्चात अंतिम चयन विषय विशेषज्ञ समितियों (एसईसी) की अनुशंसा के अनुसार किया जाएगा। डीएसटी के अंतिम निर्णय के बारे में आवेदकों को उचित प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही सूचित किया जाएगा।

आवेदन कैसे करें: ईपीएमएस (https://onlinedst.gov.in) पर वाइज़-पीएचडी के तहत प्रस्ताव जमा करने के लिए पूरे साल कॉल खुला रहेगा। प्रस्ताव का प्रारूप वाइज़-किरण प्रभाग के तहत https://dst.gov.in, https://onlinedst.gov.in और https://online-wosa.gov.in पर उपलब्ध है।

विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया https://dst.gov.in और https://online-wosa.gov.in पर वाइज़-पीएचडी दिशानिर्देश देखें। अधिक स्पष्टीकरण के लिए enquiry-wosdst@gov.in पर ईमेल करें।

आवेदन करने की अंतिम तिथि: प्रस्ताव आवेदन पूरे वर्ष जमा किया जा सकता है।